न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 05 / 2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मीना पुत्री लीलाधर पत्नी श्रवण कुमार जाति महाजन नि0 ग्राम सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हकीमुदीन पुत्र हाजी सफी मोहम्मद जाति व्यापारी निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 03.11.16
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
इनवानी वाद मीना बनाम हकीमुदीन आदि
प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेश की अवमानना
पर कार्यवाही किए जाने बाबत मु.नं.22 / 15

उपस्थित

1. श्री मनोज वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

–निर्णय–

दिनांकः–24.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 22/2015 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की और से अवमानना प्रार्थना पत्र पेश किया गया विचारण न्यायालय द्वारा 03.11.2016 को अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रकिया की पालना नही की गई है। विचारण न्यायालय में 18.10.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया था पत्रावली विधि अनुसार अपीलांट की साक्ष्य हेतु नियत करनी थी। परन्तु विचारण न्यायालय ने सीधे ही विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवमानना प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करने के पश्चात अपीलांट की साक्ष्य सबूत प्राप्त किये बिना सीधे ही विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायाहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी कन्डोन की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर देकर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय में दिनांक 12.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/9/18

(करतार सिंह पुनिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर